

# ADMISSION GUIDE

शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय  
धमतरी (छत्तीसगढ़)

स्थापित वर्ष 1995



## प्रवेश विवरणिका PROSPECTUS 2021-2022







**छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का अवलोकन ।**



**राष्ट्रपति - महामहिम. श्री रामनाथ कोविंद जी**



**छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण ।**



# जनभागीदारी समिति

अध्यक्ष



श्रीमती लुकेश्वरी साहू

उपाध्यक्ष -

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

सचिव -

प्राचार्य

सांसद प्रतिनिधि -

श्रीमती बिथिका विश्वास

विधायक प्रतिनिधि -

सुश्री पार्वती वाधवानी

## सदस्य

\* श्रीमती मनीषा साहू  
(कृषक प्रतिनिधि)

\* श्रीमती वीणा देवांगन  
(उद्योग व्यवसाय प्रतिनिधि)

\* श्रीमती पूर्णिमा रजक  
(समाज सेवी)

पोषक शाला

\* प्राचार्य - शिवसिंह वर्मा, शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धमतरी

\* प्राचार्य - शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रूद्री (धमतरी)

नियमित छात्रा  
तब्बु पटेल

भूतपूर्व छात्रा  
प्रगति सांगले

## अभिभावक सदस्य

\* श्री हीरासिंग साहू

\* श्री गणेश राम देवांगन

## प्राचार्य की कलम से...



छोटा महाविद्यालय मगर उड़ान है बाकी ।

मंजिल है दूर, मगर हौसला है बाकी ॥

न सोचना कि हम, थककर बैठ जायेंगे ।

हमने पग बढ़ा दिया है, अपनी मंजिल जरूर पायेंगे ॥

इन्हीं पंक्तियों के साथ कि हमारा महाविद्यालय अपने सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस प्रयास में हमारा महाविद्यालयीन परस्पर सहयोग, समन्वय व निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन करते हैं। शिक्षा व्यक्ति की चेतना को जागृत कर उसे सृजन योग्य बनाती है। जिस व्यवस्था के माध्यम से ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों को नयी पीढ़ियों में सम्प्रेषित किया जाता है, वह व्यवस्था शिक्षा प्रणाली कहलाती है। हर शैक्षणिक संस्थान की सबसे छोटी परंतु मूलभूत इकाई है छात्र-छात्राएँ। चूँकि व्मारा महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय है इसलिए हमारा दायित्व किंचित बढ़ जाता है।

“नारी पढ़ेगी विकास गढ़ेगी” इस कथन की सार्थकता हेतु हमारा महाविद्यालय अग्रसर है। नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारा महाविद्यालय निरंतर प्रयासरत रहता है। नारी शिक्षा से न केवल एक घर, एक परिवार बल्कि सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र भी शिक्षित होता है।

मेरी शुभकामनाएँ महाविद्यालय की छात्राओं के लिए है कि वे शिक्षित हों, प्रगति करें और समाज का एक अंग बनकर रचनात्मक कार्यों में सहयोग दे स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनें, साथ की उनमें वैचारिक स्वतंत्रता हो।

**डॉ. डी. आर. चौधरी**

प्राचार्य

शासकीय नारायण राव मेघावाले

कन्या महाविद्यालय, धमतरी

जिला-धमतरी (छ.ग.)

(स्थापना वर्ष 1995)



प्रवेश विवरण पत्रिका



# शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी

## सामान्य परिचय

शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय की स्थापना सन् 1995 में हुई। यह महाविद्यालय धमतरी जिले का एक मात्र कन्या महाविद्यालय है। प्रारंभ में महाविद्यालय में कला संकाय प्रारंभ की गई। सन् 1997 में सांसद निधि, विधायक एवं जन सहयोग से सिहावा रोड़ स्थित 1.83 एकड भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण हुआ।

वर्तमान में महाविद्यालय के लिए 8.33 एकड भूमि रूद्री रोड़ जनपद पंचायत के निकट आर्बिटित किया गया है। जहां पर महाविद्यालय संचालित है।

इस महाविद्यालय की छात्राएं अनुशासित हैं तथा परिक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहता है। इनका झुकाव सदैव रचनात्मक कार्यों में रहता है। विद्या अध्ययन के अतिरिक्त महाविद्यालय में अन्य विधाओं - जैसे खेलकूद में भी छात्राओं की सहभागिता रहती है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार अन्य शैक्षणिकोत्तर गतिविधियां भी संचालित होती हैं जिसमें छात्राओं की सहभागिता प्रशंसनीय रहती है।

स्वीप प्लान में छात्राओं का सहयोग प्रशंसनीय रहा, महाविद्यालय में एन.एस.एस.इकाई संचालित है जिसके तहत एन.एस.एस.की छात्राएं चयनित ग्राम में जाकर एन.एस.एस. की गतिविधियों को एवं रचनात्मक कार्यों के लिए ग्रामीणजन को प्रोत्साहित करते हैं।

# अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ क्रं.
उपलब्ध अध्ययन व्यवस्था/संकायवार उपलब्ध विषय	0 1
प्रवेश संबंधी निर्देश	0 2-0 4
शासकीय एवं अशासकीय शुल्कों का विवरण	0 5
धरोहर राशि एवं छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति का विवरण	0 6-0 7
रैगिंग का प्रतिषेध संबंधी निर्देश	8
विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता	0 9
अध्ययन / परीक्षा संबंधी नियम	1 0
अकादमिक कैलेण्डर	1 1-1 5
सामान्य सभा के सदस्यों की सूची	1 6
महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार	1 7
महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ	1 8
प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत	1 9
कैरियर एवं गाइडेंस सेल	2 0

भाग (एक)  
**उपलब्ध अध्ययन व्यवस्था**

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था है :-

स्नातक स्तर	सीटों की संख्या
कला संकाय - बी.ए.	सीट 200
वाणिज्य संकाय - बी.कॉम.	सीट 65
विज्ञान संकाय - गणित समूह	सीट 80
बायो समूह	सीट 80
स्नातक प्रथम वर्ष के उपलब्ध सीटों की संख्या स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में भी यथावत रहेंगी ।	
एम.ए.(राजनीति विज्ञान) -	सीट 20
पी.जी.डी.सी.ए. -	सीट 20

सत्र 2020-21 से प्रारंभ ।

**संकायवार उपलब्ध विषय**  
**कला संकाय (बी.ए.)**

- अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा + अंग्रेजी भाषा)  
(2) पर्यावरण अध्ययन (केवल बी.ए. प्रथम वर्ष के लिए)
- वैकल्पिक विषय :  
निम्न विषयों में से तीन विषयों को चयन करना होगा :-  
(1) समाज शास्त्र (2) राजनीति शास्त्र (3) भूगोल  
(4) हिन्दी साहित्य (5) अर्थशास्त्र (6) इतिहास

**वाणिज्य संकाय (बी.कॉम.)**

- अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा + अंग्रेजी भाषा)  
(2) पर्यावरण अध्ययन (केवल बी.कॉम. प्रथम वर्ष के लिए)  
तथा सभी अनिवार्य विषय

**विज्ञान संकाय (बी.एस.सी)**

- अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा + अंग्रेजी भाषा)  
(2) पर्यावरण अध्ययन (केवल बी.एस.सी. प्रथम वर्ष के लिए)
- बी.एस.सी. (गणित समूह):- गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र  
बी.एस.सी. (बायो समूह):- रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र



# प्रवेश संबंधी निर्देश

**विशेष :-** निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रवेश लेते समय जमा करना होगा ।
2. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा । मूल प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही टी.सी. की द्वितीय प्रति के आधार पर ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र तथा पुलिस थाने का एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि देना होगा ।
3. पिछली कक्षा की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंक सूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें । मूल अंक सूची विद्यार्थी को तुरन्त वापस कर दी जायेगी ।
4. प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) जो विद्यार्थी पं. रविशंकर शुक्ल या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित किसी भी संस्था के न रहे हों ।
5. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, उन्हें किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
7. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठा हो या अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसे गत वर्ष की परीक्षा संबंधी जानकारी (शपथपत्र) प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
8. जिन विद्यार्थियों ने गत परीक्षा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल /सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली के अन्य किसी बोर्ड / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र, महाविद्यालयीन प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।
9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृत्ति के लिए निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगे :-
  1. जाति प्रमाण पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. निवास प्रमाण पत्र 4. आधार कार्ड की छाया प्रतिये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किसे जायें ।
10. नौकरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
11. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो अथवा अध्ययन बीच में बंद कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थियों को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
12. शासकीय नियमों के विरुद्ध प्रवेश हेतु अवांछनीय दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
13. शासन के नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा ।

## महत्वपूर्ण

1. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के बाद सत्यापन उपरांत मूल अंकसूची एवं अन्य मूल दस्तावेज कार्यालय से तुरंत वापस लेने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की ही होगी ।
2. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर विद्यार्थी तत्संबंधी सुविधा से वंचित रहेगा ।
3. प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की प्रवेश सूची से काट दें यदि:
  - अ. विद्यार्थी महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करता है ।
  - ब. यदि विद्यार्थी महाविद्यालय की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में लगातार अनुपस्थित रहता हो ।
  - स. संबंधित विद्यार्थी का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि में असंतोषजनक हो ।
  - दृ. विद्यार्थी किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता करता हो एवं रैगिंग संबंधी गतिविधियों में संलग्न/दोष पाया जाये ।
  - इ. अन्य किसी भी विशेष कारणों से जनहित में । शासकीय नियमानुसार कोई भी विद्यार्थी लगातार एक माह से अधिक बिना पूर्व सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उनका नाम बिना सूचना के महाविद्यालय से काट दिया जाएगा ।

## शिक्षकों की उपलब्धता :

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक महाविद्यालय में 07 घंटे उपलब्ध रहेंगे ।

1. प्रातःकालीन पाली के लिए : प्रातः 7.30 से 2.30 अपरान्ह
2. दिवसकालीन पाली के लिए : प्रातः 10.30 से 5.30 अपरान्ह
3. 07 घंटे ब्रेकअप : 06 घंटे अध्ययन, अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोध कार्य, लाईब्रेरी वर्क सम्मिलित)  
01 घंटा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य)  
पाठ्यक्रम पुनरावलोकन में प्रत्येक शिक्षक एक अतिरिक्त कक्षाएँ लेकर विद्यार्थियों का शंका समाधान करेंगे ।

## सामान्य सूचनाएँ

1. यदि विद्यार्थी एक संकाय को छोड़कर दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जाएगा ।
2. विद्यार्थी अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहता है उसका चयन सावधानी से करें । विषय परिवर्तन प्राचाय की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।
3. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जाएगी, प्रवेश सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी ।
4. प्रवेश सूचना जारी होने के 07 दिनों के अंदर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा ।
5. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।
6. विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं के प्रारंभ की तिथी से की जावेगी । उपस्थिति में छूट की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी । **यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी ।**
7. प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि होना आवश्यक है ।
8. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के बाद मूल अंकसूची कार्यालय से तुरंत लेने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की ही होगी
9. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न होने पर विद्यार्थी न होने पर विद्यार्थी तत्संबंधी सुविधा से वंचित रहेगा

## अर्हता

अर्हता संबंधी नियम राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे ।

### सूचना :-

1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को छोड़ कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करना होगा ।
2. महाविद्यालय में विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा मान्य होने तक अस्थायी रहेगा अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा ।
3. पूर्व परीक्षा में जो विद्यार्थी अमहाविद्यालयीन (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हो अथवा अन्य विश्वविद्यालय से आए हों, उन्हें **विश्वविद्यालय नामांकन फॉर्म भरना अनिवार्य है ।**



# शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)

## प्रवेश शुल्क का विवरण सत्र 2020-21

क्र.	मद विवरण	राशि स्नातक	राशि स्नातकोत्तर	पीजीडीसीए			
<b>शासकीय शुल्क</b>							
1.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00			
2.	स्टेशनरी शुल्क	2.00	2.00	2.00			
3.	प्रायोगिक शुल्क	20.00	0.00	20.00			
	योग	25.00	5.00	25.00			
<b>अशासकीय शुल्क</b>							
1.	प्रायोगिक शुल्क (कला/विज्ञान/कम्प्यू.)	50/100.00	0.00	500.00			
2.	काशनमनी	60.00	100.00	500.00			
3.	निर्धन छात्र कल्याण	5.00	5.00	5.00			
4.	वाचनालय	20.00	20.00	20.00			
5.	शारीरिक कल्याण	100.00	100.00	100.00			
6.	सायकल स्टेण्ड	30.00	30.00	30.00			
7.	परिचय पत्र	30.00	30.00	30.00			
8.	चिकित्सा	5.00	5.00	5.00			
9.	सम्मिलित निधि	32.00	32.00	32.00			
10.	विकास शुल्क	25.00	25.00	100.00			
11.	स्नेह सम्मेलन	70.00	70.00	70.00			
12.	पत्रिका	50.00	50.00	50.00			
13.	युवा उत्सव	40.00	40.00	40.00			
14.	छात्रसंघ	40.00	40.00	40.00			
15.	आंतरिक परीक्षा	100.00	100.00	500.00			
16.	विभागीय/कम्प्यूटर कक्ष व्यवस्थापन	0.00	100.00	300.00			
17.	स्वच्छता शुल्क	25.00	25.00	25.00			
	योग	732.00	772.00	2347.00			
1.	नामांकन	150.00	150.00	150.00			
2.	शारीरिक कल्याण शुल्क	50.00	50.00	50.00			
3.	ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क	50.00	50.00	50.00			
	योग	250.00	250.00	250.00			
क्र.	शुल्क विवरण	बी.ए.(प्रायो.)	बी.ए.	बी.कॉम.	बी.एस.सी.	एम.ए.	पीजीडीसीए
1.	शासकीय शुल्क	25.00	5.00	5.00	25.00	5.00	25.00
2.	अशासकीय शुल्क	635.00	585.00	585.00	685.00	650.00	2300.00
3.	विश्वविद्यालयीन शुल्क	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
4.	रेडक्रास	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
5.	जनभागीदारी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00
	कुल योग	1450.00	1380.00	1380.00	1500.00	1445.00	4615.00

## धरोहर राशि ( अमानत राशि ) प्राप्त करने के लिये नियम

1. धरोहर राशि निकालवाने के लिये निर्धारित आवेदन पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें ।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही धरोहर राशि दी जायेगी ।
3. परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
4. धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति शुक्रवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा ।
5. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । तीन वर्ष व्यतीत होने पर धरोहर राशि वापस नहीं की जायेगी एवं शासन के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी ।

## छात्रवृत्तियाँ-शिष्यवृत्तियाँ

1. छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें । आवेदन पत्र कार्यालय से प्रदान किये जायेंगे । अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय के सूचना फलक में सूचित किया जाता है ।
2. आवेदन पत्र लेकर समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें । विलम्ब से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । इसके लिये महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी ।
3. पात्रता होने पर यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त सुविधाओं के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी ।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सूचना विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी ।
5. विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकते हैं परन्तु छात्रवृत्ति के नियमानुसार उन्हें केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

# छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देखें जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समयावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. उपरोक्त नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तों, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना फलक पर घोषित तिथि के भीतर आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति संबंधी सूचनाएं समय-समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
6. उपरोक्त जानकारी नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के लिये है।
7. प्रत्येक छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर जुलाई माह में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।
8. विद्यार्थी को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रति वर्ष जुलाई में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलनी बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का ही होगा।
9. सेन्ट्रल बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पास विद्यार्थी के लिये नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगे।
10. आय संबंधी योग्यता तथा अन्य आधारों में कभी भी शासन द्वारा संशोधन संभव है, अतः कालेज में नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन सूचनाएं देखें और तदनुसार आवेदन पत्र समयावधि में जमा करें।
11. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है। इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।
12. शासन के नियमानुसार जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अंतर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीप :- महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते हैं, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।



# रैगिंग का प्रतिषेध संबंधी निर्देश

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 पारित किया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

## परिभाषा

रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता है या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रवृत्त करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उससे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

## रैगिंग का प्रतिषेध

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

## दण्ड

यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

## अपराधों का विचारण

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

## छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्याग्यता

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के पास इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोषी पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

ऐसे छात्र/छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोषी पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर, तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

# विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता

## सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों के संचालन में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में झूठ-उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में अध्ययन के दौरान मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।



## अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी । अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा ।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

## परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र एवं प्री-फाइनल परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थता वश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न, गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।



**उच्च शिक्षा विभाग, उत्तीसगढ़**  
**शैक्षणिक सत्र 2021-22 का अकादमिक कैलेण्डर**  
**कोविड-19 महामारी के कारण केवल इसी सत्र हेतु**

क्र.	विवरण	तिथियाँ
01	प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)	
	(क) स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	02.08.2021 से 31.08.2021
	(ख) अन्य कक्षाओं हेतु	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर
	(ग) प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से सम्पन्न कराए जाये ।	
02	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	15.09.2021
03	नियमित कक्षाएँ प्रारंभ	02.08.2021 (नवीनीकरण विद्यार्थियों हेतु)
		01.09.2021 (नवीन विद्यार्थियों हेतु)
04	वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा	परीक्षा पूर्णता के 15 दिन के अन्दर
05	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा	30.09.2021
06	पूरक परीक्षा का आयोजन	(न्यूनतम समय में)
07	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा	30.10.2021
08	छात्रसंघ गतिविधियाँ	
	(क) छात्रसंघ गठन चुनाव प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	21.09.2021 से 30.09.2021 (विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे ।)
09	खेलकुद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :-	
	(क) खेलकुद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउटडोर)	(विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे ।)
	(ख) खेलकुद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	
	(ग) महाविद्यालय स्तर पर खेलकुद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	
10	एन.सी.सी./ एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ	
	(क) वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई 2021 का द्वितीय सप्ताह
	(ख) महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर 2021 में से कोई एक दिन
	(ग) एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कैम्प का आयोजन	25.10.2021 से 31.12.2021 के मध्य
	(घ) दीक्षान्त समारोह	फरवरी 2021

**उच्च शिक्षा विभाग, उत्तीसगढ़**  
**शैक्षणिक सत्र 2021-22 का अकादमिक कैलेण्डर**  
**कोविड- 19 महामारी के कारण केवल इसी सत्र हेतु**

क्र.	विवरण	तिथियाँ
11	अवकाश	
	(अ) दशहरा अवकाश (3 दिन)	14.10.2021 से 16.10.2021 तक
	(ब) दीपावली अवकाश (4 दिन)	03.11.2021 से 06.11.2021 तक
	(स) शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	23.12.2021 से 25.12.2021 तक
	(द) ग्रीष्मकालीन अवकाश (15 दिन)	16.06.2022 से 30.06.2022 तक
12	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम	
	(1) प्रथम यूनिट परीक्षा	05.10.2021
	(2) द्वितीय यूनिट परीक्षा	03.11.2021
	(3) प्रथम सत्र परीक्षा	01 से 03 दिसम्बर 2021
	(4) तृतीय यूनिट परीक्षा	05.01.2022
	(5) द्वितीय सत्र परीक्षा	20 से 22 जनवरी 2022
	(6) चतुर्थ यूनिट परीक्षा	08.02.2022
	(7) प्री-फाईनल परीक्षा	22, 23 एवं 24 फरवरी 2022
13	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम	
	(1) वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	26.03.2022 से 09.04.2022 तक
	(2) वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	16.04.2022 से 15.06.2022 तक

# GOVT. N.R.M. GIRLS COLLEGE DHAMTARI ( C.G.)



## Academic Calendar ( College )

Session – 2021-2022

<u>Admission Procedure</u>	-	02-08-2020 TO 31-08-2020
<u>Sports And Cultural Activities</u>	-	July – Dec
<u>NSS Activity</u>	-	'Every Saturday Of Month'
NSS 7 Days Special Camp	-	November
Annual Day	-	Dec – Jan

### **Schedule Of Internal Examination**

I Unit Test	-	Last Week Of Aug.
II Unit Test	-	Last Week Of Sep.
III Unit Test	-	Last Week Of Nov.
IV Unit Test	-	Last Week Of Dec.
Pre Annual Exam	-	Last Week Of Jan.

### **Other Activity**

" World Environment Day "	-	05 June
" World Yoga Day "	-	21 June
" Campus Tree Plantation "	-	Month Of August.
"Teachers Day"	-	5 Sep
"Hindi Day"	-	14 Sep
"Gandhi Jayanti "	-	02 Oct
"Constitution Day"	-	26 Nov
"Educational Tour"	-	Last week of December
" World Science Day "	-	28 Feb



*[Handwritten Signature]*  
04/01/2021

प्राचार्य

शास. एन.आर.एम. कन्या महाविद्यालय  
धमतरी (क.ग.)



# GOVT. N.R.M. GIRLS COLLEGE DHAMTARI ( C.G.)

Academic Calendar (College)  
Department of Political Science  
Session – 2021-2022



S.N.	Activity	Semester I&III	Semester II&IV
		Date	Date
1.	Admission Procedure	02 August to 15 September	25 January (National Voters Day)
2.	Sports And Cultural Activities	July – Dec	08 March (World Womens Day)
3.	NSS Activity	'Every Saturday Of Month'	'Every Saturday Of Month'
4.	NSS 7 Days Special Camp	November	
5.	Annual Day	Dec – Jan	
6.	Internal Examination – I	Last week of Jan.	Last week of April
7.	Internal Examination – II	Last week of Feb	Last week of May
8.	Class Seminar	Last Saturday of the Month	Last Saturday of the Month
9.	Seminar/Webinar/Special Lecture/Constitution day	26 November	
10.	Field Visit /Study Tour	Last Week of December	
11.	" World Environment Day "	05 June	05 June
12.	" World Yoga Day"	21 June	21 June
13.	" Campus Tree Plantation"	Month Of August	
14.	"Teachers Day"	5 Sep	
15.	"Gandhi Jayanti "	02 Oct	
16.	"Constitution Day"	26 Nov	



*[Signature]*  
04/08/2021  
प्राचार्य  
शास. एन.आर.एम. कन्या महाविद्यालय  
धमतरी (छ.ग.)

# GOVT. N.R.M. GIRLS COLLEGE DHAMTARI ( C.G.)

Academic Calendar (College)  
Department of Computer Science  
Session – 2021-2022



S.N.	Activity	Semester I	Semester II
		Date	Date
1.	Admission Procedure	August 01 to September 15	-
2.	Sports And Cultural Activities	July – Dec	July – Dec
3.	Unit Test	' Second and fourth Saturday Of Month'	Second and fourth Saturday Of Month'
4.	Annual Day	Dec – Jan	Dec – Jan
5.	Internal Examination – I	Last week of Jan.	Last week of July
6.	Internal Examination – II	Last week of Feb	Last week of August
7.	Class Seminar	Last Saturday of month	Last Saturday of month
8.	Seminar/Webinar/Special Lecture		
9.	Field Visit / Study Tour	Last Week of December	
10.	" World Environment Day "		05 June
11.	" World Yoga Day"		21 June
12.	" Campus Tree Plantation"	Month Of August	05 June
13.	"Teachers Day"	5 Sep	5 Sep
14.	"Gandhi Jayanti "	02 Oct	
15.	"Constitution Day"	26 Nov	



**Principal**  
Govt. N.R.M. Girl's College  
Dhamtari (C.G.)



जनभागीदारी समिति शासकीय एन.आर.एम: कन्या महाविद्यालय, धमतरी  
(सामान्य सभा के सदस्यों की सूची)

सत्र 2021-22

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम/प्रतिनिधि	पता	मो. नं.
1	माननीया श्रीमती लुकेश्वरी साहू, पार्षद सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, धमतरी	अध्यक्ष	पार्षद सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, धमतरी	9399157053
2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी	उपाध्यक्ष	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कार्यालय धमतरी	—
3	प्राचार्य, शास. कन्या महा. धमतरी	सचिव	शासकीय एन.आर.एम. कन्या महाविद्यालय धमतरी	9424274744
4	श्रीमती विथिका विश्वास	सांसद प्रतिनिधि	विश्वास क्लिनिक रामबाग (सब्जी बाजार) धमतरी (छ.ग.)	7999660308
5	सुश्री पार्वती वाधवानी	विधायक प्रतिनिधि	रिसाईपारा पूर्व धमतरी	8839016100
6	श्रीमती मनीषा साहू	कृषक प्रतिनिधि	ग्राम - डोड़की, पोस्ट/तह. /जिला- धमतरी (छ.ग.)	9406031363
7	श्रीमती वीणा देवांगन	उद्योग, व्यापार प्रतिनिधि	विवेकानंद कालोनी, धमतरी (छ.ग.)	6261462042
8	श्रीमती पूर्णिमा रजक	समाज सेवी	नयापारा, टिकरापारा धमतरी (छ.ग.)	7773855276
9	प्राचार्य, शिवसिंह वर्मा, शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धमतरी (छ.ग.)	पोषक शाला	शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला धमतरी (छ.ग.)	9425512427
10	प्राचार्य, शास. उच्चतर माध्यमिक शाला रुद्री, धमतरी (छ.ग.)	पोषक शाला	शास. उच्चतर माध्यमिक शाला रुद्री, धमतरी (छ.ग.)	—
11	कु. तब्बु पटेल	नियमित छात्रा	साल्हेवार पारा नुरानी चौक के पास - धमतरी (छ.ग.)	6266177504
12	कु. प्रगति सांगले	भूतपूर्व छात्रा	जालमपुर वार्ड मिडिल स्कूल के पास, जिला - धमतरी (छ.ग.)	6266563205
13	श्री हीरा सिंह साहू	अभिभावक सदस्य	जीएडी कॉलोनी जी-27, रुद्री धमतरी (छ.ग.)	9827821418
14	श्री गणेश देवांगन	अभिभावक सदस्य	गंगा तालाब के पास अधारी नवागांव वार्ड धमतरी (छ.ग.)	9131449617



*(Handwritten Signature)*

(डॉ. डी.आर. चौधरी)

प्राचार्य  
शास. एन.आर.एम. कन्या महाविद्यालय  
धमतरी (छ.ग.)



# महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपसंघ में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे ।

## नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्र/छात्राओं को उपस्थित माना जावेगा ।
3. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी ।
4. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी ।
5. उपस्थिति की द्वितीय गणना 14 फरवरी तक की जायेगी ।
6. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे ।

# महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

## पुस्तकालय/वाचनालय

- (अ) पुस्तकालय, वाचनालय का छात्र/छात्राएँ पूरा-पूरा उपयोग करें। यदि छात्र/छात्राएँ पुस्तकालय की सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर छात्र/छात्राओं को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वह देख लें कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ तो नहीं है, यदि छात्र/छात्राएँ ऐसा पायें तो तत्काल वह ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हें दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अर्थ दंड देय होगा।

- (ब) प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग छात्र/छात्राएँ केवल वाचनालय में बैठकर ही कर सकते हैं।  
**बुक बैंक योजना**

- (1) साधनहीन व निर्धन विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की विशेष योजना व व्यवस्था है। इच्छुक छात्र/छात्राएँ 30 सितम्बर के पूर्व बुक बैंक की सहायता हेतु आवेदन करें। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिये प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत में लौटानी होगी।
- (2) महाविद्यालय के ग्रंथालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के लिये पृथक्कत: "बुक बैंक" योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्र/छात्राएँ प्रवेश पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति इस योजना के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

## राष्ट्रीय सेवा योजना

यह योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध है। इसके अंतर्गत गांव में शिविर लगाकर समाज-सेवा का कार्य किया जाता है। प्राचार्य की अध्यक्षता एवं प्रभारी प्राध्यापक के मार्गदर्शन में इस योजना का संचालन किया जाता है।

## खेलकूद

महाविद्यालय में विभिन्न खेलों की समुचित व्यवस्था है। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि व भाग लें। महाविद्यालय के प्रांगण में छात्र/छात्राओं के लिये इनडोर एवं आउटडोर खेलकूद की समुचित व्यवस्था है।

## छात्र संघ

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा के प्रोत्साहन हेतु छात्र संघ गठित किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी छात्रसंघ का सदस्य होता है। संघ की समस्त गतिविधियों में प्रत्येक विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

## सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्रा

महाविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक छात्र/छात्रा का चयन सर्वोत्तम छात्र/छात्रा (*Best Student*) के रूप में किया जाता है। चयन हेतु मापदंड प्राचार्य द्वारा गठित समिति तय करती है।

## परिचय पत्र

प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिये परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है, जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटो लगाना भी अनिवार्य है। छात्र/छात्राएँ अपने परिचय पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा। एक छात्र/छात्रा को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा।

(विशेष परिस्थिति को छोड़ कर)



## यूथ रेड क्रॉस सोसायटी

1. यूथ रेड क्रॉस सोसायटी का वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 40/- प्रति छात्र होगा ।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कार्य समिति का गठन किया जावेगा । कम से कम तीन छात्र/छात्रा प्रतिनिधि, प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, पुस्तकालय प्रभारी सदस्य रहेंगे । समिति के सदस्यों की संख्या 11 होगी ।
3. जिला अध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे ।
4. ध्येय- छात्र/छात्रों का सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवा भाव जागृत करना, रोगियों, पीड़ितों, अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, कार्यशालाओं का आयोजन करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मातृत्व की भावना जागृत करना ।

## पालक/अभिभावक के लिये विशेष नियम

छात्रा के महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के पूर्व या परिसर के बाहर जाने के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी पालक अभिभावक की होगी ।

## विवरण पुस्तिका भाग -2

### प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. (अ) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु खुले द्वार की नीति समाप्त कर दी गई है । उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता है ।  
(ब) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर शासकीय नीति के अनुसार दिया जाता है ।
2. (अ) प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जा सकेगा । पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा की पात्रता वाले छात्र/छात्रा को स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।  
(ब) स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश उन्ही छात्र/छात्राओं को दिया जायेगा जो छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो । यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में पदस्थ अन्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों की पुत्र/पुत्रियों पर लागू नहीं होगा । स्थान रिक्त होने पर अन्य छात्र/छात्राओं को भी गुणानुक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी ।
3. ऐसी परीक्षा के लिये, जिसमें स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा है, अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । यह प्रतिबंध उन छात्र/छात्राओं पर लागू नहीं होगा जो संकाय परिवर्तन चाहते हैं । ऐसे छात्र/छात्राओं के आवेदनों पर स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकेगा ।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिये क्रमशः 12% तथा 32% स्थान आरक्षित होंगे । इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे । विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग में 8% सम्मिलित आरक्षण होगा । पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14% स्थान आरक्षित हैं । सभी वर्गों में छात्राओं के लिए 30% आंतरिक आरक्षण होगा ।



## कैरियर एवं गाइडेंस सेल

आप इस महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं आपको बधाई । इस महाविद्यालय की प्रतिभावान छात्राएँ समाज के अनेक क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही हैं । महाविद्यालय को अपने इन प्रतिभावान छात्राओं पर नाज है

आज वर्तमान परिदृश्य में महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना या डिग्री ग्रहण करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए वरन् आपको अपनी शिक्षा को कैरियर से जोड़ते हुए अभी से तय करना है कि आपको क्या बनना है एवं किस क्षेत्र में आपको अपना नाम रोशन करना है ।

आज समय आ गया है कि आप अपने सपनों का पंख दीजिए ताकि आप कैरियर के आकाश में लम्बी उड़ान भर सकें यह सब अपनी मुट्ठी में कैद कर सकें जो आप पाना चाहते हैं ।

महाविद्यालय का कैरियर एवं गाइडेंस सेल आप जैसे युवा छात्राओं का स्वागत करता है जो केवल डिग्री हासिल करने के लिए ही इस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले रहे हैं । वरन् अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने के लिए एवं कुछ बनकर दिखा देने का जज्बा लेकर इस महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं । महाविद्यालय का कैरियर एवं गाइडेंस सेल आपकी हर मदद करने के लिए तैयार है । आप जिस विषय का चयन कर रहे हैं उसमें क्या संभावनाएँ है तथा अकादमिक स्तर पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन भी कैरियर एवं गाइडेंस सेल में आपको दिया जायेगा

महाविद्यालय का कैरियर एवं गाइडेंस सेल निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सतत् रूप से प्रयत्नशील है :

1. शिक्षा एवं रोजगार में समन्वय स्थापित करना ।
2. महाविद्यालय छात्राओं को अपनी रुचि, योग्यता एवं दक्षता के अनुरूप कैरियर का चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में रोजगार एवं शिक्षा समन्वय कार्यों में रुचि प्रदान करना ।
4. वैश्वीकरण (**Globlization**) के नये दौर में बदलते हुए रोजगार परिदृश्य से छात्राओं को अवगत कराना ।
5. रोजगार एवं कौशल विकास हेतु छात्राओं को प्रेरित करना ।





# शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी

## महाविद्यालय परिवार



डॉ. डी. आर. चौधरी  
प्राचार्य

### राजपत्रित अधिकारी



डॉ. रोहिणी मरकाम  
सहा. प्राध्यापक  
(राजनीति विज्ञान)



डॉ. जे.एल. पाटले  
सहा. प्राध्यापक  
(समाजशास्त्र)



ओ.पी.चन्दे  
सहिष्णु प्राध्यापक  
(वनस्पति विज्ञान)



सुश्री नम्रता धुव  
सहा. प्राध्यापक  
(हिन्दी)



चन्द्रकांती वर्मा  
ग्रंथपाल

### अराजपत्रित कर्मचारी (तृतीय वर्ग कर्मचारी)



श्री वी.पी. साहू  
सहायक ग्रेड 02



डी.पी.गोस्वामी  
प्रयोगशाला तकनीशियन  
भूगोल

### चतुर्थ वर्ग कर्मचारी



संताराम साहू  
चौकीदार



रमेश्वर दास घोषरे  
प्रयोगशाला परिचालक



सुकमनराम नेताम  
भृत्य



भूपेन्द्र यादव  
चौकीदार



पुरुषोत्तम नाग  
भृत्य



रेवती साहू  
स्वच्छता कर्मचारी



हर्पकुमार यादव  
डाटा एंट्री आपरेटर



मनोज ओझा  
डाटा एंट्री आपरेटर







